N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0083 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/04/2025 16:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/12/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/04/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/04/2025 16:52:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 105 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** GRAM PANCHAYAT CHNDAWAL STATION, PANCHYAT SAMITI SOJAT CITY, JILA PALI

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHUNDARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MALARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DEVASIYO KI DHANI MURDAV ROOPNAGAR, GRAM PANCHAYT CHNDAVAL STATION, PANCHAYT SAMITI SOJAT CITY, SOJAT CITY, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DEVASIYO KI DHANI MURDAV ROOPNAGAR, GRAM PANCHAYT CHNDAVAL STATION, PANCHAYT SAMITI SOJAT CITY, SOJAT CITY, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TAKDEER SINGH CHERAN		पिता:OM SINGH	1. MUKAM POST KHARADI,JAITARAN,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण। विषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय निवेदनहैं कि मै भुण्डाराम पुत्र श्री मालाराम उम्र 54 साल जाति देवासी निवासी देवासियो की ढाणी मुरडाव (रुपनगर) ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन पंचायत समिति सोजत जिला पाली का निवासी हुं। ग्राम पंचायत चण्डावल से मेरा पुस्तैनी मकान आया हुआ हैं उस के साथ ही मेरे पूर्वजो का बाडा भी आया हुआ हैं। मेरा पुस्तैनी मकान व बाडा ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन की आबादी भुमि मे हैं। जिस पर दिनांक 22.11.2024 को मेरे उक्त आबादी भूमि मे स्थित पुस्तैनी मकान एवं उसके साथ ही हमारे पूर्वजो की कब्जासुदा बाडा का ग्राम पंचायत चण्डावल मे मेरे व मेरी पत्नी के नाम से पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया गया था। ग्राम पंचायत चण्डावल मे पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी श्री तकदीरसिह चारण ने मुझे बताया कि आपके पास कब्जा सुदा भुमि अधिक हैं, इसलिये आपके दो पट्टो के लगभग 30 हजार रुपये डीएलसी लगेगी तथा 11-11 हजार कुल 22,000/- उक्त दोनो पट्टो के लुगा। इस प्रकार आपके दोनो पट्टो के लगभग 50,000 हजार रुपये बनते हैं आप 45,000 रुपये दे देना। मैने मेरे स्तर पर ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन द्वारा बनाये जा रहे पट्टो के बारे मे पता किया तो श्री तकदीरसिह चारण ग्राम विकास अधिकारी पत्येक पटटेधारी से उपरोक्त प्रकार की वार्ता कर रुपये लेते हैं लेकीन पट्टा बनाने हेतु केवल 260/- रुपये की रसीद ही देते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि मै तकदीरसिह को मेरे उपरोक्त दोनो पट्टे बनवाने कि एवज मे नियमानुसार DLC राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की रिश्वत नही देना चाहता हुं। मै श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी को नियमानुसार राशि के अतिरिक्त ली जाने वाली राशि 15,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी से किसी प्रकार की दुश्मनी तथा कोई लेन-देन बकाया नही हैं। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत मे पट्टे हेतु किये गये आवेदन की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ दे रहा हुं कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांकः- 27.12.2024 भवदीय एसडी भुण्डाराम पुत्र श्री मालाराम जाति देवासी उम्र 54 सालनिवासी- देवासियो की ढाणी मुरडाव (रुपनगर) ग्रामपंचायत चण्डावल स्टेशन पं.स. सोजत सिटी जिला पाली मोबाईल .- [redacted] कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन है कि दिनांक 27.12.2024 को वक्त 1.00 पीएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक सिग्नल के पास नेशनल हाईवे सोजत सिटी पहुंचा जंहा पर परिवादी श्री भुण्डाराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री भुण्डाराम ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मुझे पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि ग्राम पंचायत चण्डावल से मेरा पुस्तैनी मकान आया हुआ हैं उस के साथ ही मेरे पूर्वजो का बाडा भी आया हुआ हैं। मेरा पुस्तैनी मकान व बाडा ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन की आबादी भुमि मे हैं। जिस पर दिनांक 22.11.2024 को मेरे उक्त आबादी भूमि मे स्थित पुस्तैनी मकान एवं उसके साथ ही हमारे पूर्वजो की कब्जासुदा बाडा का ग्राम पंचायत चण्डावल मे मेरे व मेरी पत्नी के नाम से पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया गया था। ग्राम पंचायत चण्डावल मे पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी श्री तकदीरसिह चारण ने मुझे बताया कि आपके पास कब्जा सुदा भुमि अधिक हैं, इसलिये आपके दो पट्टो के लगभग 30 हजार रुपये डीएलसी लगेगी तथा 11-11 हजार कुल 22,000/- उक्त दोनो पट्टो के लुगा। इस प्रकार आपके दोनो पट्टो के लगभग 50,000 हजार रुपये बनते हैं आप 45,000 रुपये दे देना। मैने मेरे स्तर पर ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन द्वारा बनाये जा रहे पट्टो के बारे मे पता किया तो श्री तकदीरसिह चारण ग्राम विकास अधिकारी पत्येक पटटेधारी से उपरोक्त प्रकार की वार्ता कर रुपये लेते हैं लेकीन पट्टा बनाने हेतु केवल 260/- रुपये की रसीद ही देते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि मै तकदीरसिह को मेरे उपरोक्त दोनो पट्टे बनवाने कि एवज मे नियमानुसार DLC राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की रिश्वत नही देना चाहता हुं। मै श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी को नियमानुसार राशि के अतिरिक्त ली जाने वाली राशि 15,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी से किसी प्रकार की दुश्मनी तथा कोई लेन-देन बकाया नही हैं। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत मे पट्टे हेतु किये गये आवेदन की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ दे रहा हुं कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर अग्रीम कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 30.12.2024 को वक्त 10.00 एएम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बचनाराम कानि. 447 को कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से

निकलवाकर श्री बचनाराम कानि को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की गई तथा डिजीटल वायस रिकार्डर एवं आरडी गोल्ड माईक्रो 8 जीबी कम्पनी मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री भुण्डाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] दिये गये। तत्पश्चात श्री बचनाराम कानि. को ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन पहुंच परिवादी श्री भुण्डाराम से उक्त मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपर्द कर रवाना किया गया। वक्तः 10.00 पी.एम पर श्री बचनाराम कानि. 447 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वाँयस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में पेश कर बताया कि मै निर्देशानुसार कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय से रवाना होकर चण्डावल पहुचा तत्पश्चात मन् कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री भुण्डाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वक्त 1.31 पी. एम कॉल कर सम्पर्क किया तथा मन् कानि ने परिवादी श्री भुण्डाराम को बताया कि मै एसीबी जोधपुर ग्रामीण से चण्डावल आया हुं तथा श्री पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे आपके मोबाईल नम्बर देकर सम्पर्क करने हेतु कहा है जिस पर परिवादी ने बताया कि आप वहीं रूको मै आपके पास आ रहा हुं। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री भुण्डाराम मोटरसाईकिल लेकर चण्डावल उपस्थित आया तथा परिवादी द्वारा मुझे अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर चण्डावल स्टेशन पहुंचे जंहा पर मैने परिवादी श्री भुण्डाराम को डिजीटल वायस रिकार्डर को चलाने एवं बन्द करने की समझाईश कर डिजीटल वांयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी श्री भुण्डाराम को सुपर्द कर संदिग्ध आरोपी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा मै चण्डावल स्टेशन के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहा कुछ समय पश्चात परिवादी श्री भुण्डाराम मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मेरे द्वारा परिवादी से डिजीटल वांयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान परिवादी श्री भुण्डाराम ने मुझे बताया कि मेरी श्री तकदीरसिंह ग्राम विकास अधिकारी चण्डावल स्टेशन से मेरे दोनों पट्टो के बारे में वार्ता हो गई है ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे दोनो पट्टो के लगभग 30 हजार रुपये डीएलसी तथा 11-11 हजार कुल 22,000/- उक्त दोनो पट्टो के इस प्रकार दोनो पट्टो के लगभग 50,000 हजार रुपये बनते हैं आप 45,000 रुपये देने हेतु कहा है तथा साथ ही परिवादी ने बताया कि उक्त राशि की व्यवस्था में एक-दो दिन में कर लूंगा। जिस पर मेरे द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से श्रीमान के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कांल कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये जाने पर श्रीमान द्वारा मुझे परिवादी श्री भुण्डाराम से वार्ता कर आवश्यक हिदायत कर परिवादी को वहीं छोडकर कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी जाने पर चण्डावल स्टेशन से रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आया हुं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वायस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो रिकार्डिंग वार्ता में परिवादी श्री भुण्डाराम से आरोपी श्री तकदीरसिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनके दो पट्टे बनवाने की एवज मे 30 हजार रुपये डीएलसी तथा 11-11 हजार कुल 22,000/- उक्त दोनो पट्टो के इस प्रकार लगभग 50,000हजार रुपये बनते हैं आप 45,000 रुपये लेने हेतु सहमत होना पाया गया हैं। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया एवं उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। दिनांकः- 31.12.2024 को वक्त 12.10 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री भुण्डाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कांल कर संग्दिध आरोपी श्री तकदीरसिह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एवं पट्टो की डी0एल0सी0 राशि लेकर कार्यालय मे उपस्थित आने के बारे में वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी तक 45,000/- रुपये राशि की व्यवस्था नही हुई हैं। मै दिनांक 3.01.2025 तक उक्त राशि की व्यवस्था कर शीध्र आपके कार्यालय मे उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हुं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अब की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा राशि की व्यवस्था होते ही कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया दिनांक 03.01.2025 को वक्त 1.38 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री भुण्डाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर संग्दिध आरोपी श्री तकदीरसिह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एवं पट्टो की डी0एल0सी0 राशि लेकर कार्यालय मे उपस्थित आने के बारे में वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी तक 45,000/- रुपये राशि की व्यवस्था नही हुई हैं। साथ ही बताया श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी भी ग्राम पंचायत मे उपस्थित नही आ रहा हैं, मै 8-10 दिन मे उक्त राशि की व्यवस्था कर शीध्र आपके कार्यालय मे उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हुं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अब की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा राशि की व्यवस्था होते ही कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। दिनांकः 13.01.2025 को वक्त 4.41 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री भुण्डाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर संग्दिध आरोपी श्री तकदीरसिह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एवं पट्टो की डी0एल0सी0 राशि लेकर कार्यालय मे उपस्थित आने के बारे में वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी ने मुझे कल दिनांक 14.01.2025 को राशि लेकर बुलाया हैं तथा मैने 45,000/- रुपये की व्यवस्था कर ली हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भुण्डाराम को संदिग्ध आरोपी श्री तकदीरसिह को रिश्वत मे व डीएलसी राशि लेकर कल

दिनांक 14.01.2025 वक्त 9.30 ए.एम तक कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत की गई साथ ही अब की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा राशि की व्यवस्था होते ही कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। वक्तः 4.35 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से पत्र क्रमांक 68 दिनांक 13.01.2025 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को उक्त पत्र सुपुर्द कर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 6.40 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक उपरोक्त फिकरा के कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर गया हुआ दो कार्मिकों को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री मोहम्मद अफाक पुत्र मोहम्मद अशफाक जाति मुसलमान उम्र 40साल पैशा नौकरी, निवासी- डी 126, कमला नेहरु नगर प्रथम विस्तार जोधपुर हाल- कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर। मोबाईल नम्बर [redacted] श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री अमराराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी पैशा नौकरी, सोभावतो की ढाणी पाल रोड खेमे का कुआ जोधपुर हाल- वरिष्ठ सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर कल दिनांक 14.01.2025 को वक्त 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत दी गई साथ समस्त ब्यूरो जाब्ता को भी वक्त 9.00 एएम पर उपस्थित रहने की हिदायत की गई। दिनांक 14.01.2025 को वक्त 9.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक एवं श्री ओमप्रकाश कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्त 11.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री भुण्डाराम कार्यालय में उपस्थित आया एव मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री तकदीरसिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन को मेरे पुश्तैनी मकान व मेरे पूर्वजो का बाडा (अतिक्रमित भुखण्ड) के पट्टे बनवाने एवज में रिश्वत राशि तथा उक्त पट्टो की डी0एल0सी0 राशि कुल 45,000/- रूपये लेकर उपस्थित आया हुं। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थित उक्त दोनो गवाहान व परिवादी श्री भूण्डाराम का आपसी परिचय करवाया गया । तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री भूण्डाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर चालु कर उसमें परिवादी श्री भूण्डाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री तकदीरसिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई दिनांक 30.12.2024 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली की गई एवं दोनो उक्त गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त 11.20 ए.एम पर परिवादी श्री भूण्डाराम द्वारा रिश्वत में दिये जाने वाली राशि एवं परिवादी के भूखण्डो के पट्टे बनाने हेतु डी.एल.सी. राशि रु0 500-500 के कुल 90 नोट 45,000/- रुपये अपने पहने हुए कमीज की उपर की बायी जेब से निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये। साथ ही परिवादी ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी श्री तकदीरसिह बहुत ही शातिर एवं शंकी आदमी हैं मेरे द्वारा रिश्वत राशि एवं डीएलसी राशि अलग-अलग पेश की गई तो उसे संदेह हो जायेगा इसलिये मैं सम्पूर्ण राशि रु0 45,000/- एक साथ ही उसे दूगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा फर्द पेशकशी रिश्वत राशि एवं फर्द पेशकशी डीएलसी राशि की दो अलग-अलग फर्दात बनाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 45,000/- रुपये मे से भूखण्डो के पट्टे बनाने हेतु दी जाने वाली डी0एल0सी0 राशि 30,000/- रुपये के नोटो की फर्द पेशकशी, परिवादी के भूखण्डो के पट्टे बनाने हेतु डी0एल0सी0 राशि भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तैयार कर फर्द में उक्त 30,000/- रूपये नोटो के नम्बर अंकित किये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त परिवादी के भूखण्डो के पट्टे हेतु दी जाने वाली डीएलसी राशि के नोटो की फोटो प्रतियां करवाई जाकर नोटो की फोटो प्रतियो पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटो की फोटो प्रतियों को शामिल रनिंग नोट की गई। चूंकि परिवादी के कथनानुसार संदिग्ध आरोपी शातिर एवं सतर्क होने से रिश्वत राशि एवं डीएलसी राशि एक साथ संदिग्ध आरोपी को देने हेतु परिवादी ने बताया हैं। अतः आईन्दा उक्त डी0एल0सी0 राशि पर भी रिश्वत राशि के साथ फिनोफ्थलीन पाउण्डर लगवाया जाकर रिश्वत राशि एवं डी0एल0सी0 राशि परिवादी श्री भुण्डाराम को सुपुर्द होगी। उक्त फर्द पेशकशी, परिवादी के भूखण्डो के पट्टे बनाने हेतु डी0एल0सी0 राशि भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 11.50 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री भूण्डाराम ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन पंचायत समिति सोजत जिला पाली ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि रु0 500-500 के कुल 30 नोट 15,000/- तथा परिवादी के भूखण्डो के पट्टे बनाने हेतु डीएलसी दर के रुप मे दी जाने वाली राशि रू0 500-500 के कुल 60 नोट 30,000/- रुपये कुल राशि रु0 45,000/- अपने पहने हुए कमीज की उपर की बायी जेब से निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये हैं। साथ ही परिवादी ने उक्त राशि पेश करते वक्त पूर्व मे बताया कि ग्राम विकास अधिकारी श्री तकदीरसिह बहुत ही शातिर एवं शकी आदमी हैं मेरे द्वारा रिश्वत राशि एवं डीएलसी दर से भूखण्डो की राशि अलग-अलग पेश की गई तो उसे संदेह हो जायेगा इसलिये मै सम्पूर्ण राशि रु0 45,000/- एक साथ ही उसे

दूगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत 45,000/- रुपये मे से डी0एल0सी0 राशि रुपये 30,000/- की पूर्व मे फर्द तैयार की जा चुकी हैं। शेष परिवादी द्वारा प्रस्तुत राशि मे से रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 15, 000/- रुपये के नोटो के नंबर निम्नानुसार है । क्र.सं. नोट का विवरण 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KL 623649 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KL 623650 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KL 623651 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KL 623652 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KL 623653 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9GH 500548 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3LM 099853 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3LM 099868 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3LM 099857 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2LM 364487 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2LM 364489 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0SP 396720 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786112 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786113 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786114 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786115 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786116 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786117 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786118 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786119 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786120 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786121 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786124 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786125 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786126 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NH 786127 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GK 955248 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9VB 184040 29. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1GB 218040 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1GB 218039 तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 15,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो तथा परिवादी के भूखण्डो के पट्टे हेतु डीएलसी राशि 30,000/- रुपये कुल राशि 45,000/- रुपये को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भुण्डाराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक से लिवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 45,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से ही परिवादी के पहने हुए कमीज की उपर की बायी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि तथा डी0एल0सी0 राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. [redacted]से मन् पारस सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल/कॉल अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 3310 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के

हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात वक्त 12.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे से मांग सत्यापन वार्ता के दौरान डाला गया मैमोरी कार्ड बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा तथा नया मैमोरीकार्ड डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे डाला गया। तत्पश्चात वक्त 12.35 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मोहम्मद अफाक, श्री ओमप्रकाश, परिवादी भुण्डाराम ब्यूरो जाब्ता श्रीमती अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि.447 श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्वंय के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम चण्डावल स्टेशन की तरफ रवाना होकर वक्त 2.25 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली इत्यादि के ग्राम चण्डावल स्टेशन से थोडा आगे रेलवे अन्डर बिज के पास पहुच गाडियो को रोड के साईड मे एकान्त मे खडा करवाया जाकर परिवादी श्री भुण्डाराम से आरोपी श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति के बारे मे गोपनीय रुप से पता करवाया तो आरोपी श्री तकदीरसिह ग्राम चण्डावल नगर अपने निवास पर होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के ग्राम चण्डावल स्टेशन से ग्राम चण्डावल नगर को रवाना होकर वक्तः- 2.50 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली के ग्राम चण्डावल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास पहुंच वाहनों को रोड के साईड में एक तरफ गोपनीय स्थान पर खडे करवाये जाकर श्री बचनाराम कानि0 447 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस चालू करवाकर परिवादी श्री भुण्डाराम को सुपर्द कर आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी के निवास की तरफ रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र चण्डावल नगर के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात वक्त 3.55 पी.एम पर परिवादी श्री भुण्डाराम बिना गोपनीय ईशारा किये संदिग्ध आरोपी के निवास से बाहर निकल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को स्वीच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री भुण्डाराम ने बताया कि मै डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर श्री तकदीरसिह के निवास के पास पहुंच मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री तकदीरसिह के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की तो श्री तकदीरसिह ने बताया कि मै निवास के अन्दर ही हु आप आ जाओ जिस पर मै उनके निवास स्थान पर पहुंचा तथा मैने श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी से मेरे पट्टो के बारे मे पूछा तो श्री तकदीरसिह ने मुझे कहा कि आप बैठो मै वापिस आ रहा हुं, कह कर अपने निवास से गाडी लेकर कही चले गये। मै श्री तकदीरसिह के आने के इन्तजार मे करीब एक घण्टा तक उनके निवास पर बैठा रहा लेकिन वह इस समय तक वापिस नही आने से मै आपके पास वापिस आया हुं। श्री तकदीरसिह द्वारा मेरे से अभी तक रिश्वत राशि व डीएलसी राशि प्राप्त नही की हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत राशि के लेन-देन से संबंधित वार्ता होना नही पाई गई हैं इसलिये रिकॉर्डिंग वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट नही बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के पुनः निवास पर आने के इन्तजार मे संदिग्ध आरोपी के निवास के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कुछ समय और इन्तजार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 4.45 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपी श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी चण्डावल स्टेशन अपने निवास चण्डावल नगर पर उपस्थित नही आया हैं तथा आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आईन्दा कल दिनांक 15.01.2025 को करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री भुण्डाराम को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वत राशि तथा डी0एल0सी0 राशि 45,000/- रूपये परिवादी श्री भुण्डाराम के पहने हुए कमीज की उपर की बायी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक से निकलवाये जाकर एक सफेद कागज में लिपटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक के पास सुरक्षित रखवाये गये तथा परिवादी श्री भुण्डाराम को अब तक कार्यवाही की गोपनीयता बरतने

तथा संदिग्ध आरोपी का फोन आने पर तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करने की हिदायत की गई साथ परिवादी श्री भुण्डाराम को कल दिनांक 15.01.2025 को ग्राम चण्डावल स्टेशन पर ही उपस्थित मिलने की हिदायत कर रुखसत दी जाकर वक्त 5.00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मोहम्मद अफाक, श्री ओमप्रकाश, ब्यूरो जाब्ता श्रीमती अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि.447 श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्वंय के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम चण्डावल नगर से एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना होकर वक्तः 7.05 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मोहम्मद अफाक, श्री ओमप्रकाश, ब्यूरो जाब्ता श्रीमती अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि.447 श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्वंय के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम चण्डावल नगर से एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण पहुंचा तथा रिश्वत व डी0एल0सी0 राशि 45,000/- रुपये सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक से सुरक्षित अलमारी मे रखवाई जाकर अलमारी का लॉक लगाकर चाबी मन अतिरिक्त पुलिस के कब्जे मे ली गई। वक्तः- 7.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मोहमम्द अफाक, व ओमप्रकाश को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा कल दिनांक 15.01.2025 को 9.00 पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। ब्यूरो जाब्ता को को भी कल दिनांक 15.01.2025 को 9.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। दिनांक 15.01.2025 को वक्त 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक एवं श्री ओमप्रकाश कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्त 10.25 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अलमारी का ताला खुलवाकर अलमारी मे रखी हुई रिश्वती राशि व डी0एल0सी0 राशि 45,000/- रुपये स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक से निकलवाकर उनके पास ही सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात वक्त 10.40 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मोहम्मद अफाक, श्री ओमप्रकाश, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि0 496, श्री बचनाराम कानि.447 श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्वंय के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम चण्डावल स्टेशन की तरफ रवाना होकर वक्त 12.15 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मोहम्मद अफाक, श्री ओमप्रकाश, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि0 496, श्री बचनाराम कानि.447 श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली के निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सी0जे0 0046 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के चण्डावल स्टेशन से थोडा आगे रेलवे अन्डर ब्रिज के पास पहुंच वाहनो को रोड की साईड मे खडा कियां जहां पर परिवादी श्री भुण्डाराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री भुण्डाराम ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री तकदीरसिह कुछ समय पूर्व ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन आया था और 10 मिनट रुकने के पश्चात वापिस चला गया हैं आरोपी श्री तकदीरसिह ने मुझे बताया हैं कि आज मेरी पंचायत समिति सोजतसिटी मे मिटिंग हैं इसलिये मै मिटिंग मे जा रहा हुं। मै करीब 4.00 पी.एम. तक मिटिंग से फ्री होकर आपको फोन कर दूगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भुण्डाराम को हिदायत की गई कि आपके पास आरोपी का फोन आते ही तुरन्त सुचित करें। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम गोपनीयता की दृष्टि से चण्डावल स्टेशन से रवाना होकर ग्राम खोखरा पहुंच आरोपी का परिवादी के पास फोन आने के इन्तजार मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम ग्राम खोखरा एव उसके आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुए। तत्पश्चात वक्त 4.25 पी.एम. पर परिवादी श्री भुण्डाराम ग्राम खोखरा पहुंच मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी तक श्री तकदीरसिह ग्राम विकास अधिकारी का मेरे पास फोन नही आया हैं तथा ना ही वह ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन पर उपस्थित आया हैं तथा ना ही उससे कोई सम्पर्क हो पा रहा हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भुण्डाराम को निर्देशित किया कि आरोपी के अब तक उपस्थित नही आने से आज कोई ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हैं साथ ही परिवादी को हिदायत दी गई कि आईन्दा आरोपी से सम्पर्क होते ही मन

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरती जावें। अतः आईन्दा परिवादी श्री भुण्डाराम का आरोपी श्री तकदीरसिंह से सम्पर्क होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 5.00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मोहम्मद अफाक मय रिश्वत, डीएलसी राशि के एवं श्री ओमप्रकाश, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री रामकुमारसिह कानि0 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि.447 श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर निजी वाहन आरजे 19 सीजे 0046 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम खोखरा से एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुआ। वक्तः 7.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मोहम्मद अफाक, श्री ओमप्रकाश, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री रामकुमारसिह कानि0 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि.447 श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम चण्डावल नगर से एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण पहुंचा तथा रिश्वत व डी0एल0सी0 राशि 45,000/- रुपये सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक से सुरक्षित अलमारी मे रखवाई जाकर अलमारी का लॉंक लगाकर चाबी मन अतिरिक्त पुलिस के कब्जे मे ली गई। तत्पश्चात वक्तः- 7.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मोहमम्द अफाक, व ओमप्रकाश को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने, इस कार्यालय की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोडने तथा आईन्दा सुचित करने पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 20.01.2025 को वक्तः 01.30 पी.एम. पर परिवादी श्री भुण्डाराम कार्यालय उपस्थित हो एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा श्री तकदीरसिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन से सम्पर्क किया गया तो श्री तकदीरसिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन ने मुझे बताया की आपने मेरी एसीबी में शिकायत की है ना मैने एसीबी की गाडियों को घुमते हुए देखा है मै आपसे बात नहीं करता आप जावो जिस पर मेरी जानकारी अनुसार श्री तकदीरसिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई या उससे किसी प्रकार का शक हो गया है। अब वह मेरे से रिश्वती राशि नही लेगा उसे रंगे हाथो पकड़ा जाना सम्भव नही है। मेरे द्वारा दी गई रिश्वती राशि एवं डीएलसी राशि के रूप में प्रस्तुत की गई 45,000/- रूपये लौटाने की कृपा करावें। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। हालात उच्चाधिकारियें को निवेदन किये जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। वक्त 3.00 पी.एम पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक एवं श्री ओमप्रकाश कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात वक्त 3.15 पी.एम पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री भुण्डाराम पुत्र श्री मालाराम उम्र 54 साल जाति देवासी निवासी देवासियो की ढाणी मुरडाव (रुपनगर) ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन, पंचायत समिति सोजत जिला पाली एवं आरोपी श्री तकदीरसिह चारण ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन, पंचायत समिति सोजत जिला पाली के मध्य दिनांक 30.12.2024 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 8 जी.बी आरडी गोल्ड माइक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन 8 जी.बी आरडी गोल्ड माइक्रो मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा से निकालकर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री भुण्डाराम के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में उक्त 8 जी.बी आरडी गोल्ड माइक्रो मैमोरी कार्ड डालकर, उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री बचनाराम कानि. 447 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री तकदीरसिह चारण ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन तथा परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री भुण्डाराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 8 जी.बी आरडी गोल्ड माइक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की श्री बचनाराम कानि. 447 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से एक अन्य 8 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड एव डब मैमोरी कार्ड की हेज वेल्यू निकाली गई तो उक्त दोनों मैमोरी कार्ड की हेज वेल्यू समान होना पाई गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 8 जी.बी आरडी गोल्ड माइक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 12.4 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री भुण्डाराम के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मूल मैमोरी कार्ड व डब मैमोरी कार्ड की निकाली गई हेज वेल्यू पर

भी संबधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। उक्त शील्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड व डब मैमोरी कार्ड मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्तः 04.00 पी.एम पर स्वंतत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक से कार्यालय की अलमारी में पूर्व से स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अफाक से रखवाई रिश्वती राशि व डीएलसी राशि 45,000/- रूपये सफेद पेपर में लिपटी हुई निकलवाई जाकर गवाह श्री मोहम्मद अफाक से नोटो पर लगाया गया फिनोथफ्लीन पाउडर झटकवाया जाकर 45,000/- रिश्वती राशि व डीएलसी राशि रूबरू गवाहान परिवादी श्री भुण्डाराम को सुपुर्द की जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली करते हुए दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। आरोपी श्री तकदीरसिंह चारण पुत्र श्री ओमसिंह उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी मु.पो.खराडी तहसील जैतारण जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन पंचायत समिति सोजत सिटी जिला पाली द्वारा परिवादी श्री भुण्डाराम से उनके दो पट्टे बनवाने के लगभग 30 हजार रुपये डीएलसी तथा 11-11 हजार कुल 22,000/- उक्त दोनो पट्टे के, इस प्रकार दोनो पट्टो के लगभग 50,000 हजार रुपये की जगह 45,000 रुपये जिसमें लगभग 30,000/- रूपये डी.एल.सी.राशि के रूप में है एवं 15,000/- रूपये रिश्वत राशि के रूप में है। अतः मांग सत्यापन वार्ता अनुसार आरोपी श्री तकदीरसिह चारण ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन, पंचायत समिति सोजत जिला पाली ने 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया है । इस तरह श्री तकदीरसिह चारण ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन, पंचायत समिति सोजत जिला पाली का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। अतः आरोपी श्री तकदीरसिह चारण ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन, पंचायत समिति सोजत जिला पाली का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रंमाकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री तकदीर सिंह चारण पुत्र श्री ओमसिंह, उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी मु.पो.खराडी तहसील जैतारण जिला पाली, हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन पंचायत समिति सोजत सिटी जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मनीष चौधरी, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर एस.यू., जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 63 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 484-87 दिनांक 04.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली, 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला स्थापना समिति), जिला परिषद, पाली 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANISH CHAUDHARY **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/04/2025 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	17/10/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)